



पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986

परिचय

पर्यावरण की सुरक्षा एवं पर्यावरण में सुधार करने के उद्देश्य से पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम (Environment (Protection) Act-EPA), 1986 को अधिनियमित किया गया था।

- यह केंद्र सरकार को सभी रूपों में पर्यावरण प्रदूषण को रोकने और देश के विभिन्न हिस्सों में वंशित पर्यावरणीय समस्याओं से निपटने के लिये प्राधिकरण स्थापित करने हेतु अधिकृत करता है।
- यह अधिनियम पर्यावरण के संरक्षण और सुधार हेतु सबसे व्यापक कानूनों में से एक है।

पृष्ठभूमि: EPA का अधिनियम जून, 1972 (स्टॉकहोम सम्मेलन) में स्टॉकहोम में आयोजित "मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन" को देश में प्रभावी बनाने हेतु किया गया। ज्ञातव्य है कि भारत ने 'मानव पर्यावरण में सुधार के लिये उचित कदम उठाने हेतु आयोजित' इस सम्मेलन में भाग लिया था।

संवैधानिक प्रावधान:

- EPA को भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 253** के तहत अधिनियमित किया गया था, जो अंतरराष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी करने के लिये कानून बनाने का प्रावधान करता है।
- संविधान का **अनुच्छेद 48A** निर्दिष्ट करता है कि राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने तथा देश के वनों और वन्यजीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा।
- **अनुच्छेद 51A** में प्रावधान है कि प्रत्येक नागरिक पर्यावरण की रक्षा करेगा।

अधिनियम का विस्तार क्षेत्र: यह अधिनियम जम्मू-कश्मीर राज्य सहित पूरे भारत में लागू है।

ईपीए अधिनियम की मुख्य विशेषताएँ

- **केंद्र सरकार की शक्तियाँ:** केंद्र सरकार के पास राज्य सरकारों के साथ मिलकर पर्यावरण की रक्षा और सुधार के उद्देश्य से आवश्यक सभी उपाय करने की शक्ति होगी।
- **इसके अलावा केंद्र सरकार को निम्नलिखित अधिकार हैं:**
 - पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और उपशमन के लिये एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम की योजना बनाना और उसे क्रियान्वित करना।
 - पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार के लिये विभिन्न पहलुओं पर मानक निर्धारित करना।
 - विभिन्न स्रोतों से पर्यावरण प्रदूषकों के उत्सर्जन या निर्वहन के लिये मानक निर्धारित करना।
 - उन क्षेत्रों पर कुछ सुरक्षा उपायों के अधीन प्रतिबंध लगाना, जिनमें किसी उद्योग, उद्योगों के समूह या ऐसी प्रक्रियाओं का संचालन हो रहा है।
 - केंद्र सरकार इस अधिनियम के तहत विभिन्न उद्देश्यों के लिये अधिकारियों की नियुक्ति कर सकती है और उन्हें संबंधित शक्तियाँ एवं कार्य सौंप सकती है।
- **अधिनियम के अनुसार केंद्र सरकार को निम्नलिखित निर्देश देने की शक्ति है:**
 - किसी उद्योग के संचालन या प्रक्रिया को बंद करने, उसका निषिद्ध या विनियमन करने की शक्ति।
 - बजिली, पानी या किसी अन्य सेवा की आपूर्ति को रोकने या विनियमन करने की शक्ति।
- **प्रदूषक उत्सर्जन पर प्रतिबंध:** किसी भी व्यक्त या संगठन को निर्धारित मानकों से अधिक पर्यावरण प्रदूषक उत्सर्जित करने की अनुमति नहीं होगी।
- **प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का अनुपालन:** कोई भी व्यक्ति प्रक्रिया का अनुपालन न करते हुए या निर्धारित सुरक्षा उपायों का पालन किये बिना किसी भी खतरनाक पदार्थ को नहीं रखेगा।
- **प्रवेश और निरीक्षण की शक्तियाँ:** केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति को किसी भी स्थान पर (आवश्यक सहायता के साथ) निम्नलिखित कारणों से प्रवेश करने का अधिकार होगा:
 - अधिनियम के अंतर्गत दिये गए किसी भी आदेश, अधिसूचना एवं निर्देशों के अनुपालन के निरीक्षण हेतु।
 - वह किसी भी उपकरण, औद्योगिक संयंत्र, रिकॉर्ड, रजिस्टर, दस्तावेज़ या किसी अन्य भौतिक वस्तु की जाँच (और यदि आवश्यक हो तो

जब्त करने के लिये) के उद्देश्य से इस अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध हेतु प्रमाण प्रस्तुत कर सकता है।

- **पर्यावरण प्रयोगशालाओं की स्थापना:** अधिनियम के अनुसार केंद्र सरकार के पास नमिनलखिति शक्तियाँ हैं:
 - पर्यावरण प्रयोगशालाएँ स्थापित करना।
 - ऐसी प्रयोगशाला को सौंपे गए कार्यों को करने के लिये किसी भी प्रयोगशाला या संस्थान को पर्यावरण प्रयोगशालाओं के रूप में मान्यता देना।
 - केंद्र सरकार को पर्यावरण प्रयोगशालाओं के कार्यों को नरिदषिट करने वाले नयिम बनाने का भी अधिकार है।
- **सरकारी वशिलेषक की नयिकृति:** किसी मान्यता प्राप्त पर्यावरण प्रयोगशाला को हवा, पानी, मट्टि या अन्य पदार्थ के नमूनों के वशिलेषण के लिये केंद्र सरकार एक सरकारी वशिलेषक की नयिकृति कर सकती है।
- **अपराधों के लिये दंड:** अधिनियम के किसी भी प्रावधान का अनुपालन न करना या उल्लंघन करना अपराध माना जाता है।
 - EPA के तहत किसी भी अपराध का दंड पाँच साल तक की कैद या एक लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों एक साथ हो सकता है।
- **कंपनियों द्वारा अपराध:** यदि इस अधिनियम के तहत किसी कंपनी द्वारा कोई अपराध कया जाता है, तो जब तक यह साबित न हो जाए कि अपराधी कौन है; अपराध के समय नयिकृत वह प्रत्येक व्यक्ती, जो कंपनी का सीधा प्रभारी है, दोषी माना जाता है।
- **सरकारी वभिगों द्वारा अपराध:** यदि इस अधिनियम के तहत सरकार के किसी वभिग द्वारा कोई अपराध कया गया है, तो वभिग के प्रमुख को अपराध का दोषी माना जाएगा जब तक कि अपराध अन्यथा साबित न हो।
 - वभिग के प्रमुख के अलावा कोई भी अधिकारी यदि दोषी साबित होता है तो उसके खलिाफ भी कार्रवाई की जा सकती है तथा तदनुसार दंडित कया जा सकता है।
- **अपराधों का संज्जान:** कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के तहत किसी भी अपराध का संज्जान नहीं लेगा बशरते शकियत नमिलखिति में से किसी के द्वारा न की गई हो:
 - केंद्र सरकार या उसकी ओर से कोई प्राधकिरण।
 - एक ऐसा व्यक्ती, जो केंद्र सरकार या उसके प्रतनिधि प्राधकिरण को 60 दिनों का नोटिस सौंपने के पश्चात् न्यायालय के पास आया हो।

अधिनियम की कमयिाँ

- **अधिनियम का पूरण केंद्रीकरण:** अधिनियम का एक संभावित दोष इसका केंद्रीकरण हो सकता है। जहाँ व्यापक शक्तियाँ केंद्र को प्रदान की जाती हैं और राज्य सरकारों के पास कोई शक्ति नहीं होती है। ऐसे में केंद्र सरकार इसकी मनमानी एवं दुरुपयोग के लिये उत्तरदायी है।
- **कोई सार्वजनिक भागीदारी नहीं:** अधिनियम में पर्यावरण संरक्षण के संबंध में सार्वजनिक भागीदारी के बारे में भी कोई बात नहीं कही गई है, जबकि, मनमानी को रोकने और पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिये नागरिकों को पर्यावरण संरक्षण में शामिल करने की आवश्यकता है।
- **सभी प्रदूषकों को शामिल न कया जाना:** यह अधिनियम प्रदूषण की आधुनिक अवधारणा जैसे शोर, अधिक बोझ वाली परिवहन प्रणाली और विकिरण तरंगों को प्रदूषकों की सूची में शामिल नहीं करता है, जो पर्यावरण प्रदूषण के महत्वपूर्ण कारक हैं।

राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधकिरण (National Environment Appellate Authority- NEAA) और राष्ट्रीय हरति अधकिरण (National Green Tribunal-NGT)

- इसकी स्थापना राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधकिरण अधिनियम, 1997 के तहत केंद्र सरकार द्वारा की गई थी।
- NEAA की स्थापना उन क्षेत्रों में लगाए गए प्रतबिंध के संबंध में अपील सुनने के लिये की गई थी, जनिमें पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत कुछ सुरक्षा उपायों के अधीन कोई उद्योग या प्रक्रिया का संचालन नहीं कया जाएगा।
- हालाँकि NEAA (राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधकिरण के साथ) को अपर्याप्त पाया गया, जसिसे पर्यावरणीय मामलों को अधिक कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से नपिटाने के लिये एक संस्था की मांग बढ़ गई।
 - अतः पर्यावरण संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और शीघ्र नपिटाने के लिये राष्ट्रीय हरति अधकिरण अधिनियम, 2010 के तहत वर्ष 2010 में **राष्ट्रीय हरति अधकिरण (NGT)** की स्थापना की गई थी।
 - **पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986** के साथ NGT छह अन्य कानूनों के तहत दीवानी मामलों को भी सुलझाता है।

EPA के तहत जारी महत्वपूर्ण सूचनाएँ

- **तटीय वनियिमन क्षेत्र अधसूचना (1991):** यह तटीय हसिसों से जुड़ी गतिविधियों को नयितरति करती है।
 - दिसंबर 2018 में केंद्रीय कैबिनेट ने **तटीय वनियिमन क्षेत्र (Coastal Regulation Zone- CRZ)** अधसूचना, 2018 को मंजूरी दी।
- विकास परयोजना अधसूचना का पर्यावरणीय प्रभाव आकलन।

पर्यावरण संरक्षण के लिये अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन जसिका भारत एक हस्ताक्षरकर्ता है:

- ओज़ोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों पर **वयिना कन्वेंशन** के लिये **मॉन्ट्रयिल प्रोटोकॉल, 1987**
- खतरनाक अपशषिटों के सीमा पार संचलन पर **बेसल कन्वेंशन, 1989**
- **रॉटरडेम कन्वेंशन, 1998**
- स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों (POPs) पर **स्टॉकहोम कन्वेंशन**
- **जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फरेमवरक कन्वेंशन (UNFCCC), 1992**
- **जैव वविधिता पर कन्वेंशन (CBD), 1992**
- **मरुस्थलीकरण का मुकाबला करने के लिये संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCCDD), 1994**

- इंटरनेशनल ट्राॅपिकल टिम्बर एग्रीमेंट (1983) और द इंटरनेशनल ट्राॅपिकल टिम्बर ऑर्गनाइजेशन (ITTO), 1994:
 - इंटरनेशनल ट्राॅपिकल टिम्बर एग्रीमेंट (ITTA), 1983 द्वारा स्थापति ITTO वर्ष 1985 में स्थापति हुआ और वर्ष 1987 में प्रभाव में आया ।
 - ITTO अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और उष्णकटिबंधीय जलवायु में पाई जाने वाली लकड़ियों के उपयोग एवं इससे जुड़े संसाधनों के लिये स्थायी प्रबंधन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा, परामर्श और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की सुविधा प्रदान करता है ।
 - ITTA (वर्ष 1983) में नहिति समझौते पर वर्ष 1994 में बातचीत हुई एवं यह 1 जनवरी, 1997 को लागू हुआ ।
 - इस संगठन में 57 सदस्य देश हैं । भारत ने वर्ष 1996 में ITTA की पुष्टिकी ।

PDF Refernece URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/environment-protection-act-1986>

